Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission
Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur - 492 001 (C.G.)
Ph 0771-4073568, Fax: 4073553
Website: www.cserc.gov.in, E-mail: cserc.sec.cg@nic.in;

NOTICE FOR INVITING OBJECTIONS/SUGGESTIONS AND PUBLIC HEARING ON RETAIL ELECTRICITY TARIFF OF BHILAI TOWNSHIP AREA

M/s Bhilai Steel Plant-Town Electrical & Engineering Department (BSP-TEED), a distribution licensee in its area of operations in Bhilai, was required to file a petition for approval of true-up of FY 2020-21 and FY 2021-22, revised Aggregate Revenue Requirement (ARR) for FY 2023-24 and determination of retail tariff for FY 2023-24 by 30th November 2022 under Sections 86 (1) (a) and 62 of Electricity Act, 2003 read with CSERC (Terms and Conditions of determination of tariff according to Multi-Year Tariff Principle and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and charges) Regulations, 2021.

2. On non filing of aforesaid petition, Commission has initiated a suo-motu proceeding for determination of retail tariff for FY 2023-24 by registering a petition (08/2023). This petition along with correspondences done with BSP-TEED are available on the Commission's website. Stake holders may file their objections/suggestions on the above suo-motu petition to Secretary of the Commission by 05/09/2023. The Commission has decided to hold a public hearing on the above petition at the Commission office in Raipur on 06/09/2023 at 11:30 a.m.

SECRETARY

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर 492001
फोन नं. *0771-4073568* फैक्स *4073553*
वेब साईट *www.cserc.gov.in* ई–मेल : *cserc.sec.cg@nic.in*

भिलाई स्टील प्लान्ट टाउनशिप एरिया हेतु खुदरा विद्युत दर पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने एवं जन–सुनवाई हेतु सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहु–वर्षीय टैरिफ सिद्धांत के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के नियम और शर्तें और टैरिफ और शुल्कों से अपेक्षित राजस्व के निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया) विनियम, 2021 के अनुपालन में बीएसपी–टीईईडी को वर्ष 2023–24 हेतु खुदरा दर के निर्धारण हेतु 30 नवम्बर, 2022 तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया जाना था किन्तु बीएसपी–टीईईडी द्वारा नियत समय में याचिका दायर नहीं किये जाने के कारण, आयोग द्वारा वर्ष 2023–24 में खुदरा दर निर्धारण एवं वर्ष 2020–21 तथा वर्ष 2021–22 के ट्रू–अप हेतु स्वप्रेरणा से याचिका (08/2023) पंजीकृत की गई है।

2. उक्त याचिका एवं बीएसपी–टीड के साथ किया गया प्रत्राचार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उक्त याचिका पर दावाधारी अपने आपत्ति/सुझाव दिनांक 05/09/2023 तक आयोग के सचिव के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग द्वारा उक्त याचिका पर आयोग कार्यालय में दिनांक 06/09/2023 समय प्रातः 11:30 बजे जन–सुनवाई की जावेगी।

सचिव

11/8/2023